अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : रावतभाटा

पोथमल बनाम श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार सा०

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र नं० 23 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
13 06/2023	पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकरी अप्रार्थी को सम्मन जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 15/06/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा	
15 06/2023	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी की बाद तामिल प्राप्त जो शा. फा. की गई। पीठासीन अधिकारी महो. प्रशासन गाँवों के संग अभि. 2023 (MR(2023) में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 11/07/2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
11 07/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पेशकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा न्यायालय में उपस्थित है। पत्रावली में पत्थरगढ़ी किए जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की व पत्थरगढ़ी किए जाने में सहमति व्यक्त की। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दिनांक 13/07/2023 को पेश हो।	No objection (हस्ताक्षर)
13 07/2023	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रा. पत्र धारा-128 पर बहस सुनाई। उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल	

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepak Singh Khatana
Date: 2024.02.13 11:33:35 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करना चाहता है तथा पैरोकार सरकार के सहमति व्यक्त करने से पत्रावली प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-128 स्वीकार योग्य पाया जाता है। अत: प्रार्थी का प्रा.पत्र धारा-128 बाबत पत्थरगढ़ी का स्वीकार किया जाता है। पत्थरगढ़ी का आदेश / निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepak Singh Khatana
Date: 2024.02.13 11:33:35 IST
Reason: SelfAttested